

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय,
तिरुवनन्तपुरम-शाखा कार्यालय एरणाकुलम



OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM – BRANCH OFFICE
ERNAKULAM

EKM/OE//Furniture Auction/2025-26/

दिनांक: 04-03-2026

सूचना/NOTICE

विषय – शाखा एरणाकुलम में पुराने फर्नीचर और अन्य अप्रचलित वस्तुओं की नीलामी ।

Subj - Auction of old furniture and other obsolete items in Br.
Ernakulam

इस कार्यालय में रखे पुराने, अनुपयोगी तथा अप्रचलित फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव है। इन वस्तुओं में लकड़ी तथा स्टील के फर्नीचर शामिल हैं, जो पुराने या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन वस्तुओं को “जैसा है, जहाँ है” के आधार पर एक-एक करके या समूह (लोट्स) में नीलामी के लिए रखा जाएगा।

It is proposed to dispose off by public auction, furniture and other articles of this office which have become obsolete, old and unserviceable. These items of both wood, steel etc are either old or damaged which will be put for auction one by one or in lots and on as-is-where-is basis.

इन वस्तुओं का निरीक्षण नीलामी की तारीख को सुबह 8.30 से 9.30 बजे तक किया जा सकता है। सार्वजनिक नीलामी का आयोजन 21.03.2026 (शनिवार) सुबह 10.00 बजे इस कार्यालय के परिसर में किया जाएगा। जो व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 1000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) बयाना जमा राशि के रूप में अधोहस्ताक्षरी को नकद जमा करना होगा और नीलामी के दिन, नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व पास प्राप्त करना होगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई राशि को लेनदेन के अंतिम निपटान के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। अन्य बोलीदाताओं को नीलामी के बाद उनकी जमा राशि वापस कर दी जाएगी। केवल उन्हीं व्यक्तियों को नीलामी स्थल पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने ईएमडी/पास प्राप्त किए हैं।

Items can be inspected between 8:30 AM and 9:30 AM on the date of auction. The public auction will be conducted at 10:00 AM on 21.03.2026 (Saturday), at this office premises. Those who wish to participate in the auction have to remit Rs.1000/- (Rupees One Thousand Only) as earnest money deposit to the undersigned in cash and obtain pass, on the day of auction and before the commencement of auction. The deposit amount by the successful bidders will be adjusted against the final settlement of the transaction. For other bidders, the amount will be refunded after the auction. Only those persons who have remitted EMD/obtained passes will be allowed to be present at the venue of the auction.

उप महालेखाकार (प्रशासन) को यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति की बयाना राशि अस्वीकार कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से रोक सकते हैं या किसी वस्तु को नीलामी से हटा सकते हैं। सफल बोलीदाता को नीलामी के तुरंत बाद पूरी राशि (यदि लागू हो तो कर सहित) नकद जमा करनी होगी।

नीलाम की गई वस्तुओं को सफल बोलीदाता को 24 घंटे के भीतर अपनी जिम्मेदारी और खर्च पर कार्यालय परिसर से हटाना होगा। भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारी इस नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

The Deputy Accountant General (Admin) has the right to reject the deposit of any person/not admit anybody to participate in auction/not to auction any of the displayed items, without assigning any reason thereof. The successful bidders have to settle the transaction immediately, i.e., by remitting the full amount in cash for each item auctioned including tax, if any. The successful bidders should remove the items within 24 hours from the office premises at their own cost and risk. The persons working in the IA&AD are not eligible for participating in the auction.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/का.स्था/एरणाकुलम

Sr. Accounts Officer/OE/Ernakulam

सेवा में/To,

1. सूचना पट्ट/Notice Board
2. कार्यालय वेबसाइट/Office website
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सं), महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय
Senior Audit Officer(Estate), Office Of the Accountant General(Audi-1)
3. पुराने फर्नीचर के व्यापारी/Dealers of old furniture